प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **47 / 2026** (अपील सूचना का अधिकार)
अजीत डांगी निवासीः ग्राम नांदवेल, नाहरमगरा, जिला–उदयपुर

...............अपीलार्थी

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घासा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के कार्यालय में दिनांक 19.11.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 17 बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 47 / 26 / 282–84 दिनांक 10.02.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की तरफ से कोई प्रत्युत्तर अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प. / 41 / 2 / सू.अ / प्र.अ.स. / 47 / 25 / 247–48 दिनांक 18.02.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.11.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार घासा से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1163–64 दिनांक 27.11.2025 से उक्त कार्यालय को अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर 17 विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी संख्या 1 से संबंधित नहीं होने से उन्होंने अपीलार्थी के आवेदन को निर्धारित समयावधि में

RajKaj Ref No.:
22502137
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector and District Magistrate
Date: 2026.05.27 19:25:32 IST
Reason: Approved

प्रत्यर्थी संख्या 2 को अंतरित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपील में कोई प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं किया गया यद्यपि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को 1. विकास अधिकारी मावली, 2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मावली, 3. थानाधिकारी पुलिस थाना डबोक एवं 4. सहायक अभियन्ता पीएचईडी मावली को अंतरित किया जाकर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रेषित किया गया। स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सूचना से संबद्ध विभागों को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु लिखा गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में अत्यधिक विस्तृत, प्रश्नवाचक एवं स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की सूचनाएं चाही गई है। सूचना विभिन्न विभागों से संबंधित होने से प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा संबंधित विभागों को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्राचार किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अत्यधिक विस्तृत एवं प्रश्नवाचक है और व्यापक रूप से पूरे क्षेत्र के रिकॉर्ड को समाहित करती है। अपीलार्थी द्वारा किसी व्यक्ति/दस्तावेज विशेष के संबंध में सूचना नहीं मांगी जाकर व्यापक दस्तावेजों की मांग की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घासा को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों/परिपत्रों अनुसार प्राप्त आवेदनों को निस्तारण करें एवं प्रथम अपील में भी निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector and District Magistrate
Date: 2026.05.27 19:25:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22502137
M e-Sign